



DrGenius Academy Welcomes You

Let's Begin Journey Together
And Achive Dream
Together

Dr Surendra Dhiwa

Educator

(Law | Public administration and management)

(Polity and IR | Audit and Accounting)



धारा 270

⇒ बाजारों, व्यवसायों का खोला जाना,
बन्द किया जाना तथा किराए पर दिया जाना



कोई व्यक्ति जो बिना अनुमति/ अनुमति के ⇒

जुर्माना ⇒ 1000 - 2000/-

धारा 271 ⇒ नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित
वधशालाओं आदि →

↓
[राज्य सरकार द्वारा इस कार्य हेतु नियुक्त प्राधिकारी
की मंजूरी ले]

धारा 272 ⇒ नयी वधशालाओं का खोला जाना →

↓
सामाजिक सुविधा तथा साधारण जनता की
राय को ध्यान में रखते हुए

धारा 273 → वे शक्तियां जिनका खतरनाक रोगों को रोकने के लिए प्रयोग किया जा सकेगा →

निम्न शक्तियां →

- ① आदेश ग्राहक →
- चिकित्सा अधिकारी
 - कुटुम्ब का मुखिया
 - कारवाने / शिक्षण संस्थान का प्रबन्धक
- जो यह जानता है कि
- कौन व्यक्ति खतरनाक रोग से पीड़ित है

(ii) निरीक्षण हेतु अधिकार देने की शक्ति →

↳ किसी क्षेत्र/स्थान का जहाँ कोई खतरनाक रोग होने की रिपोर्ट हो

(iii) किसी बालाघ/पानी के स्रोत से पीने हेतु जल का प्रतिष्ठित

करने की शक्ति

↳ जहाँ किसी खतरनाक रोग के प्रसार की संभावना हो

(iv) किसी भी भवन/स्थान को साफ़ करने/रोगाणु रहित करने की शक्ति

(vi) रोगाणु रहित होने तक किसी वास व्युत्पिधा को वापस
निर्यात देने का प्रतिबंध
जहां खतरनाक रोग
से पीड़ित व्यक्ति रहता है

(vii) मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से गंदी झोपड़ी शेत को
नष्ट करने की सक्ति
जहां खतरनाक रोग
से पीड़ित व्यक्ति रहता है।

(६।) रक्तनाश रोग ले पीडित हेतु वाहने की व्यापक

तथा तुरन्त रोगाणु रहित किया जाय-

→ संपीन मास होने पर तुम्हारा की प्रतिरु \Rightarrow पीडित की।

→ नगरपालिका के आदरा की अवस्था \Rightarrow 2000-5000/-

धारा 274 ⇒ राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रति भीड़-
वाले क्षेत्रों के संबंध में विशेष शक्तियाँ,
जो राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा सकेंगी →

(1)

धारा 275 → शिव गान्धना और कृषिस्तान -

उत्तराखण्ड

धारा 276 ⇒ कृषिस्त्रान और शमशानों के संबंध में
बुद्ध शक्तियां →

① बंद होने का प्रादेश → लोक सभाएक को ध्यान में
रखते हैं

② नगरपालिका की अनुसूची के अन्तर्गत ⇒ पुर्नाना

↓
1000-2000/-

व्यक्ति व्यक्ति \Rightarrow अपील \rightarrow 30 दिन के भीतर

कलेक्टर को



अपील अधिकारी

आदेश/नोटिस को पुरत / अपारत / उपाहार

कर लेवेगा।

धारा 277 ⇒ शब्दों को ले जाने का विनियमन →

① जेले मार्ग विहित कर सकेगी जिनसे शब्दों को ले जाया जाएगा

↓
उल्लंघन ⇒ जुर्माना ⇒ 1000-2000/-

धारा 278 शमशान भूमियों पर ईंधन की दुकान हेतु आरोपना देने की शक्ति →

धारा 279

शर्तों को दफन करवाने या जलाने की शक्ति →



अद्वितीय शर्तों के मामले में → मृत्यु परचात 24 घंटे
के बाद

अप्राकृतिक मृत्यु → विधि के उपबंधों के अनुसार

→ धार्मिक संस्कारों को दफन में रखना है

धारा 280 ⇒ नगरपालिका क्षेत्र में से मृत
पशुओं के शवों को हटाया जाता →

↓
जुर्माना ⇒ 1000-2000/-

धारा 281 ⇒ सुविधाय विकारों से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा
किए गए कार्यों हेतु शांति →

↓
1000-2000/-

धारा 282 कृषिपथ व्यवसायो का नियमन



- ① मॉन्सोन बरिशत, रकत, दडियो आदि का उधारने / संग्रह को
- ② मछलियो का काएने। खाफ। संग्रह
- ③ रबालो। सीगो। चमगे का संग्रह
- ④ चमगे का रोजेयन / सामान विनिपरण।
- ⑤ रंगर
- ⑥ खाबुन बनाने के लिए
- ⑦ ऊन। बालो का पुखाने
- ⑧ रोग उधारने

चयी पिछलने । गस्थक पिछलाने ।

- रूट, मिट्टी के अर्जन, युना पकाने हेतु
- भूसा, चारा, लकड़ी, कोयला आदि ज्वलनशील पदार्थों के संग्रह हेतु
- खान
- तेल मिल
- आटा चक्की (विद्युत x)
- आसवनी के ५७

धारा 283

मजदूरो को बुलाने या उनकी छुट्टी देने
के लिए सायरल का उपयोग —

↓
अनुसूचित विना। उल्लंघन पर जुर्माना।

2000-5000/-

धारा 284

⇒ चरित को संबंधित नोटिसों आदि की
तामील →

धारा 285

व्यक्ति नोटिस की अवस्था → 2000/-
50 दिन

धारा 286

→ कार्पोरेट नोटिस की अवस्था
↓
2000-5000/-
50-100/दिन

धारा 287

⇒ स्वामी/अधिभोगी द्वारा व्यक्तिगत काम पर नगरपालिका किसी कार्य को निष्पादित कर सकती और उसका व्यय कभूल कर सकती →

धारा 288

=> स्वामी उर। यतिक्रम किर जाने पर
अधिभोगी संकर्म निरपादित कर सकेगा
और प्रिया में से चयन कर सकेगा →

↓

नगरपालिका के अनुमोदन से *

धारा 289

=> कार्यमहियां, यदि कोर अधिभोगी अधिनियम
के निरपादन का विरोध करतारु -

प्रत्येक दिन हेतु \rightarrow 1000-2000/-

(8 दिन बाद
नोटिस दे)

धारा 290 \Rightarrow नगरपालिका द्वारा नियोजित व्यक्तियों के काम में बाधा डालने के लिए शास्ति \rightarrow
2000-5000/-

धारा 291

अधिनियम, नियमों और उपविधियों के
भाग के लिए शक्ति, जो अत्यथा उपबंधित
नहीं है →

2000-5000/-

धारा 292 →

अधिनियम के प्रयोग के हेतु प्रेरणा →

↓

धारा 293

निवारक निरीक्षण →



धारा 294

पुबुश होने की शक्ति →

धारा 295

→ इतिपय मामलों में उत्तिकर →

धारा 296

रखें या त्यय कैसे अधारित व वसूल की

जाएं →

धारा 297

राज्य नगरपालिका संघ का गान व
इलेके कृत्य →

निवाद्यक issues

राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार →



THANK YOU

For Join Our Session



 +91-9636280355

www.drgenius.academy.com

